संख्या:– 1103 /वै0स0–जि0मै0/चिकित्सा–2021–22

शिविर कार्यालय,
जिलाधिकारी,सीतापुर
दिनॉकः– 09 जनवरी, 2022

1. **समस्त उपजिलाधिकारी, सीतापुर।**
2. **समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सीतापुर। (द्वारा जि0वि0अ0)**
3. **समस्त अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीतापुर। (द्वारा मु0चि0अ0)**
4. **समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, सीतापुर।**

सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम डोज तथा द्वितीय डोज हेतु ड्यू व्यक्तियों का प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन कराने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत पूर्व निर्देश दिनॉक 04 जनवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

जनपद में कोविड वैक्सीनेशन की वर्तमान में समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय क्षेत्रों में ग्राम वार/वार्ड वार वैक्सीनेशन से छुटे व्यक्तियों का सर्वेक्षण उचित ढंग से नही किया जा रहा हैं, जिससे सर्वेक्षण के उद्देश्य ही विफल हो जा रहे है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत ग्राम पंचायत वार तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड वार वैक्सीनेशन से छुटे व्यक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकिया अविलम्ब अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

1. ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण ग्राम पंचायत वार राजस्व ग्राम को इकाई मानकर किया जाए तथा सर्वेक्षण हेतु मतदाता सूची को आधार बनाया जाये।
2. प्रत्येक राजस्व ग्राम हेतु आगंनबाड़ी/आशा/लेखपाल/पंचायत सहायक आदि कार्मिकों में से किसी एक को उत्तरदायी बनाया जाये, यदि राजस्व ग्राम बड़ा है तो मजरे वार सर्वेक्षण हेतु उत्तरदायी कार्मिक तैनात किये जाये।
3. सर्वेक्षण हेतु संलग्न प्रारूप पर सूचनायें संकलित की जाए।
4. शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण नागर निकाय के वार्ड को इकाई मानकर किया जाए तथा सर्वेक्षण हेतु मतदाता सूची को आधार बनाया जाये।
5. 15 से 18 आयु वर्ग के ऐसे बालक जो स्कूल नही जा रहे है अथवा जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो सका है, उनका चिन्हांकन भी उपरोक्त कर्मिकों द्वारा सर्वेक्षण के दौरान सुनिश्चित किया जाए।
6. सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समयसीमा में तथा गुणवत्तापरक पूर्ण किया जाना है, इस हेतु न्याय पंचायत वार नोडल अधिकारी नामित किया जाये जो सर्वेक्षण की गुणवत्ता की पुष्टि करेंगे।
7. जनपद स्तर पर उपरोक्त सर्वेक्षण का अनुश्रवण मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

संलग्नकः–सर्वेक्षण प्रारूप।

(विशाल भारद्वाज)
जिलाधिकारी, सीतापुर।

संख्या व दिनॉक समॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, सीतापुर।
4. जिला विकास अधिकारी,सीतापुर।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर।

(विशाल भारद्वाज)
जिलाधिकारी, सीतापुर

कोविड टीकाकरण के प्रथम डोज हेतु सर्वेक्षण

ग्राम पंचायत का नाम........................ ब्लाक...........................

क्रम सं0	राजस्व ग्राम का नाम	जनसंख्या (2011)	कुल मतदाताओं की संख्या	प्रथम डोज प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	प्रथम डोज हेतु अवशेष व्यक्तियों की संख्या (6=4-5) (सूची संलग्न करें)	इंकार व्यक्तियों की संख्या (सूची संलग्न करें)	ग्राम से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या (सूची संलग्न करें)	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें प्रथम डोज नही लगी है (कालम=6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नाम/हस्ताक्षर ग्राम प्रधान नाम/हस्ताक्षर लेखपाल नाम/हस्ताक्षर आशा नाम/हस्ताक्षर ग्राम पंचायत अधिकारी

कोविड टीकाकरण के प्रथम डोज (15 से 18 आयु वर्ग) हेतु सर्वेक्षण

ग्राम पंचायत का नाम.......................... ब्लाक.............................

कम सं0	राजस्व ग्राम का नाम	जनसंख्या (2011)	कुल मतदाताओं की संख्या	प्रथम डोज से अवशेष 15 से 18 आयु वर्ग के बालकों की संख्या (सूची संलग्न करें)
1	2	3	4	5

नाम/हस्ताक्षर ग्राम प्रधान   नाम/हस्ताक्षर लेखपाल   नाम/हस्ताक्षर आशा   नाम/हस्ताक्षर ग्राम पंचायत अधिकारी